न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 95/2016 **दायर तारीख :–** 14-10-2016

1. मूसाराम
2. रामेश्वर
3. सुरजाराम
4. पूरण

} पुत्रान मूला जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र माधा जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. बिदामी पुत्री माधा पत्नि हनुमान
3. धप्पों पुत्री माधा पत्नि बद्री

} जाति गुर्जर निवासी हनुमान का गाडा तन मालूताना तहसील थानागाजी

4. संतरा पुत्री माधा पत्नि रामपाल जाति गुर्जर निवासी जैतपुरा तन बीलाली तहसील बानसूर जिला अलवर।
5. मन्नी देवी पत्नि भगवाना
6. कैलाश पुत्र भगवाना
7. रामनिवास पुत्र भगवाना

} जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

8. रामेश्वरी पुत्री भगवाना पत्नि श्योराम
9. सजना पुत्री भगवाना पत्नि लालचंद

} जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा उर्फ तालु का बास तह. विराटनगर, जयपुर

10. ब्रदी
11. मालाराम
12. जगदीश प्रसाद

} पुत्रान सुवा जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी, छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

13. मदन
14. धोलाराम
15. संतोष

} पुत्रान सोणाराम जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

16. पपीता पुत्री सोणाराम पत्नि हरदान
17. सीता पुत्री सोणाराम पत्नि मुकेश
18. रामपाल
19. गिर्राज
20. रामरतन

} पुत्रान छीमली देवी पुत्री सुन्दरी देवी बेवा गोमा

21. पतासी
22. छोटी उर्फ गोठी
23. लाली देवी
24. बीला देवी
25. मिश्री देवी
26. खामोश

} पुत्रियान छीमली देवी पुत्री सुन्दरी देवी बेवा गोमा

} जाति गुर्जर निवासी झगडेता तन नीमूचाना तह0 बानसूर जिला अलवर राज0।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

27. नाथी पुत्री सुन्दरी बेवा गोमा पत्नि धूडाराम जाति गुर्जर निवासी तालू का बास तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
28. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा

खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
श्री महेश कुमार जैन, अधिवक्ता प्रति0 संख्या 3 लगा0 8 व 13 लगा0 15
एकपक्षीय कार्यवाही शेष प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : .....

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम छीतोली के हाल खसरा 2755/1.09, 2756/0.57, 2757/0.57, 2759/0.41, 2760/0.03, 2761/0.30, 2762/0.10, 2763/0.16, 2939/2991/0.08 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर वादीगण की खातेदारी भूमि जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। वाद ग्रस्त आराजी से लगती हुई बतरफ उत्तर में वादीगण की हाल खातेदारी भूमि 2698/1.03 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर में स्थित है। वादीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 2755, 2756, 2757, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763 कुल किता 8 कु रकबा 3.23 हैक्टेयर का साबिक खसरा नंबर 13 बीघा 19 बिस्वा रहा है, जिसकी मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर साबिक से हाल रकबा 3.53 हैक्टेयर बनता है कि तुलना में 0.30 हैक्टेयर भूमि कम पडती है। यह है कि हाल सैटलमेंट के दौरान वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि का रकबा 2761/0.45, 2762/0.20, 2163/0.41 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें पडौसी खातेदारी प्रभूदयाल पुत्र ओमकार महाजन के साबिक खसरा नंबर 2036 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा का रकबा शामिल कर देने से प्रभूदयाल महाजन द्वारा दावा करने से न्यायालय श्रीमान के निर्णय एवं डिकी के द्वारा हाल खसरा नंबर 2762 में से 0.10, 2763 में से 0.25, 2761 मे से 0.15 कुल 0.50 हैक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी में कम कर दी गयी। उक्त खसरा नंबरान में कम किए गए रकबे के नये नंबर 3093/2762/0.10, 3034/2763/0.25, 3095/2761/0.15 वर्तमान में सूसा देवी पत्नि भगवान सहाय गुर्जर की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है, जिसने प्रभूदयाल महाजन से जमीन मोल खरीदी थी। यह है कि ग्राम छीतोली का पुरान राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा ही था जिससे नया राजस्व ग्राम छीतौली बनाया गया हैं। साबिक खसरा नंबर 2006 से लगते हुए साबिक खसरा नंबर 2033 व 2034 के मध्य साबिक सैटलमेंट के समय में आम रास्ता

उपखण्ड अधिकारी

था जिसे नक्शा ट्रेस में भी दिखा रहा हैं वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 2034 की भूमि उक्त रास्ते तक थी और आज भी वादीगण अपनी उक्त भूमि पर रास्ते पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु हाल सैटलमेंट कर्मचारियों ने वादीगण के कब्जे काश्त एवं रिकॉर्ड व नक्श के विपरीत रास्ते से लगती हुई भूमि के हाल खसरा नंबर 2754/0.86 हैक्टेयर को प्रतिवादीगण के बुजुर्गो की खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया जो काबिले दुरूस्ती हैं। यह है कि साबिक खसरा नंबर 2006 रकबा 32 बीघा में ताराचन्द पुत्र देवी सहाय जाति महाजन निवासी छीतौली का हिस्सा 1/3 दरं हिस्सा 1/2 यानि सम्पूर्ण खाते का 1/6 वां हिस्सा था, जो वादीगण ने ताराचन्द महाजन से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 06.08.1975 को खरीदी थी, जिसका रकवा 5 बीघा **$6^{2/3}$** बिस्वा यानि 5 बीघा 7 बिस्वा होता है। जिसे मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर 1.35 हैक्टेयर भूमि बनती है, जिसे हाल सैटलमेंट कर्मचारियों ने हाल खसरा नंबर 2698/1.03 हैक्टेयर ही वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड किया है, जो साबिक रकबे की तुलना में 0.32 हैक्टेयर कम करके दर्ज रिकॉर्ड किया गया है। यह है कि वादीगण द्वारा ताराचन्द महाजन से जो भूमि खरीदी गयी वह साबिक खसरा नंबर 2006 रकबा 32 बीघा का दक्षिणी भाग रास्ते से लगता हुआ खरीदी था और खरीद के दिन से आज तक उसी जगह काबिज होकर काश्त कर रहे है, हाल सेटलमेंट वालो ने भी मोके एवं कब्जे काश्त के हिसाब से हाल खसरा नंबर 2698/1.03 हैक्टेयर की पृथक से खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड की है। यह है कि वादीगण की भूमि सडक के दोनों तरफ स्थित होने से प्रतिवादीगण की भूमि वादीगण की उक्त भूमि के मध्य में स्थित नहीं रही है। परन्तु वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 2006 से बनाए गए नंबर का रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नंबर 2034 से बनाए गए नंबरो का रकबा 0.30 हैक्टेयर कम करके हाल खसरा नंबर 2754/0.86 हैक्टेयर के रूप में गलत दर्ज किया है, जबकि हाल खसरा नंबर 2754/0.86 हैक्टेयर सम्पूर्ण खसरा नंबर पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। सैटलमेंट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय या डिक्री के अभाव में पूर्ववर्ती इन्द्राज को कम या ज्यादा करने के अधिकार नहीं होते है, बल्कि पूर्ववर्ती इन्द्राज/प्रवृष्टियों को दोहराना ही होता है। सैटलमेंट कर्मचारियों ने अधिकारिता से बाहर जाकर रकबा कम किया है, जो काबिले दुरूस्ती है। यह है कि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 2033 रकबा 14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 2753/0.19 हैक्टयर बनाए गए है जो भी मैट्रिक प्रणाली के हिसाब से 0.02 हैक्टेयर ज्यादा दर्ज किया गया है। मोके पर वादीगण को दिए गए कब्जे के हिसाब से हाल खसरा नंबर 2753/0.19 हैक्टेयर भूमि पर भी वादीगण का ही कब्जा काश्त है एवं वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के नाम वादीगण की उक्त भूमि की खातेदारी गलत दर्ज रिकॉर्ड होने की बात कही तो प्रतिवादीगण एलानिया धमकी देने लगे, यह है कि यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी को अमल में लाते हुए वादीगण को जबरन बेदखल

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कर खुद कब्जा करने में और भूमि को किसी दिगर व्यक्ति के हक में बय विक्रय अंतरण पंजीयन कराने में सफल हो गए तो वादीगण को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फंसना पड़ेगा जिससे वादीगण के समय व धन की भी बर्बादी होगी तथा वादीगण को जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के धन के रूप में किया जाना संभव नहीं होगा। अतः निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा खातेदारी हक इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि वाकै ग्राम छीतौली के हाल खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को साबिक नक्शे एव रिकॉर्ड के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवे। जबरन बेदखल कर खुद कब्जा नहीं करें न ही उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय विक्रय पंजीयन ही करें सदा–सदा को पाबंद करें।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 व 13 लगायत 15 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम छीतौली खाता संख्या 95 संवत् 2070–2073 **प्रदर्श–1**, नकल जमाबन्दी ग्राम जयसिंहपुरा खाता संख्या 228 संवत् 2067–2070 **प्रदर्श–2**, नकल जमाबन्दी ग्राम छीतौली खाता संख्या 15 संवत् 2070–2073 **प्रदर्श–3**, नकल जमाबन्दी ग्राम छीतौली खाता संख्या 114 संवत् 2070–2073 **प्रदर्श–4**, नकल जमाबन्दी ग्राम जयसिंहपुरा खाता संख्या 18 संवत् 2067–2070 **प्रदर्श–5**, नकल मिलान क्षेत्रफल **प्रदर्श–6**, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 419 **प्रदर्श–7**, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 172 **प्रदर्श–8**, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 168 **प्रदर्श–9**, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 273 **प्रदर्श–10**, हाल नक्शा ट्रेस ग्राम जयसिंहपुरा आधार वर्ष 2036–2037 **प्रदर्श–11**, हाल नक्शा ट्रेस ग्राम जयसिंहपुरा आधार वर्ष 2036–2037 **प्रदर्श–12**, नकल साबिक नक्शा ट्रेस ग्राम जयसिंहपुरा **प्रदर्श–13**, नकल जमाबंदी ग्राम जयसिंहपुरा खाता संख्या 179 संवत् 2031–2034 **प्रदर्श–14**, नकल साबिक खतौनी बंदोबस्त ग्राम जयसिंहपुरा खाता संख्या 488 संवत् 2012–2027 **प्रदर्श–15**, नकल साबिक खतौनी बंदोबस्त ग्राम जयसिंहपुरा खाता संख्या 342 संवत् 2012–2027 **प्रदर्श–16**, नकल साबिक खतौनी बंदोबस्त ग्राम जयसिंहपुरा खाता संख्या 353 संवत् 2012–2027 **प्रदर्श–17**, नकल प्रार्थना पत्र प्रतिलिपी आवेदक श्री किशन लाल **प्रदर्श–18**, नकल विक्रय पत्र ताराचंद दिनांक 06.08.1979, फोटो स्टेट हाल नक्शा ट्रेस आदि पेश किए है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

4. प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 व 13 लगायत 15 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। इकबाले जवाब दावा पेश किया गया।
5. प्रकरण में तनकीयात कायम की गई–

(1). आया वादीगण भूमि खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर का साबिक रिकॉर्ड के आधार पर रिकॉर्ड दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

— जिम्मेवादी

(2). आया वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अधिकारों की साबिक रिकॉर्ड के आधार पर घोषणा कराने के अधिकारी है। — जिम्मेवादी

(3). आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। — जिम्मेवादी

(4). दादरसी

6. प्रकरण में साक्ष्य वादी में P.W-1 सुरजाराम पुत्र मूला जाति गुर्जर, P.W-2 मालाराम पुत्र गोपीराम जाति गुर्जर, P.W-3 होलाराम पुत्र महादेव जाति यादव के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किया गया तथा बयान पंजीबद्व किए गए।
7. तनकी संख्या 1, 2, व 3 का विवेचन निम्नानुसार है–

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। प्रकरण में वादीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रदर्श–1 में खसरा नंबर 2755/1.09, 2756/0.57, 2757/0.57, 2759/0.41, 2760/0.03, 2761/0.30, 2762/0.10, 2763/0.16, 2939/2991/0.08 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा विवादित खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में वादीगण की तरफ से प्रस्तुत साबिक खसरा नंबर नक्शा व हाल खसरा नंबर नक्शा तथा प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। नकल मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नंबर 2754 को साबिक खसरा नंबर 2006 तथा हाल खसरा नंबर 2753 को साबिक खसरा नंबर 2033 से होना बताया है। परन्तु हाल खसरा नंबर 2754 के रकबे को हाल नक्शा तथा साबिक नक्शा में देखा जाए तो हाल खसरा नंबर 2754 साबिक खसरा नंबर 2034 के रकबे से बनना साबित होता है। तथा साबिक खसरा नंबर 2034 की तथा इससे बने हाल खसरा नंबर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। तथा हाल खसरा नंबर 2753 के रकबे का हाल नक्शा व साबिक नक्शा में देखा जाए तो हाल खसरा नंबर भी साबिक खसरा नंबर 2006 तथा साबिक खसरा नंबर 2034 के रकबे से बनाना साबित होता है। साबिक खसरा नंबर 2006 में से कुछ रकबा वादीगण ने जरिये रजिस्ट्री क्रय किया हुआ है। तथा प्रकरण में अधिकांश प्रतिवादीगण ने इकबाले जवाब के द्वारा वादीगण के पक्ष में विवादित खसरा नंबरान के संबंध में पुष्टि की है। उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त वादीगण भूमि खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर का साबिक रिकॉर्ड के आधार पर रिकॉर्ड दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। विवादित खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में वादीगण की तरफ से प्रस्तुत साबिक खसरा नंबर नक्शा व हाल खसरा नंबर नक्शा तथा प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। नकल मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नंबर 2754 को साबिक खसरा नंबर 2006 तथा हाल खसरा नंबर 2753 को साबिक खसरा नंबर 2033 से होना बताया है। परन्तु हाल खसरा नंबर 2754 के रकबे को हाल नक्शा तथा साबिक नक्शा में देखा जाए तो हाल खसरा नंबर 2754 साबिक खसरा नंबर 2034 के रकबे से बनना साबित होता है। तथा साबिक खसरा नंबर 2034 की तथा इससे बने हाल खसरा नंबर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। तथा हाल खसरा नंबर 2753 के रकबे का हाल नक्शा व साबिक नक्शा में देखा जाए तो हाल खसरा नंबर भी साबिक खसरा नंबर 2006 तथा साबिक खसरा नंबर 2034 के रकबे से बनाना साबित होता है। साबिक खसरा नंबर 2006 में से कुछ रकबा वादीगण ने जरिये रजिस्ट्री कय किया हुआ है। उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त वादीगण भूमि खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर का साबिक रिकॉर्ड के आधार पर रिकॉर्ड दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन से विवादित खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर का वादीगण अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी होने के कारण उक्त खसरा नंबर पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की बाधा या मजामहत पैदा नहीं करने के लिए वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

8. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रदर्श–1 में खसरा नंबर 2755/1.09, 2756/0.57, 2757/0.57, 2759/0.41, 2760/0.03, 2761/0.30, 2762/0.10, 2763/0.16, 2939/2991/0.08 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा विवादित खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में वादीगण की तरफ से प्रस्तुत साबिक खसरा नंबर नक्शा व हाल खसरा नंबर नक्शा तथा प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। नकल मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नंबर 2754 को साबिक खसरा नंबर 2006 तथा हाल खसरा नंबर 2753 को साबिक खसरा नंबर 2033 से होना बताया है। परन्तु हाल खसरा नंबर 2754 के रकबे को हाल नक्शा तथा साबिक नक्शा में देखा जाए तो हाल खसरा नंबर 2754 साबिक खसरा नंबर

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी • विराटनगर (जयपुर) • सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2034 के रकबे से बनना साबित होता है। तथा साबिक खसरा नंबर 2034 की तथा इससे बने हाल खसरा नंबर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। तथा हाल खसरा नंबर 2753 के रकबे का हाल नक्शा व साबिक नक्शा में देखा जाए तो हाल खसरा नंबर भी साबिक खसरा नंबर 2006 तथा साबिक खसरा नंबर 2034 के रकबे से बनाना साबित होता है। साबिक खसरा नंबर 2006 में से कुछ रक्बा वादीगण ने जरिये रजिस्ट्री क्रय किया हुआ है। तथा वर्तमान में खसरा नंबर 2753 पर वादीगण के पुख्ता आवास बने हुए है। उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त वादीगण भूमि खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर का साबिक रिकॉर्ड के आधार पर रिकॉर्ड दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

10. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाकै ग्राम छीतौली के हाल खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर का वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर की खातेदारी में प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण के नाम दर्ज किया जावें तथा आवश्यक अमल–दरामद करें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर किया जाता है के वे वादीगण के खातेदारी के उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा कारित नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29/6/21 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. मूसाराम
2. रामेश्वर
3. सुरजाराम
4. पूरण

} पुत्रान मूला जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र माधा जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. बिदामी पुत्री माधा पत्नि हनुमान
3. धप्पों पुत्री माधा पत्नि बद्री

} जाति गुर्जर निवासी हनुमान का गाडा तन मालूताना तहसील थानागाजी

4. संतरा पुत्री माधा पत्नि रामपाल जाति गुर्जर निवासी जैतपुरा तन बीलाली तहसील बानसूर जिला अलवर।
5. मन्नी देवी पत्नि भगवाना
6. कैलाश पुत्र भगवाना
7. रामनिवास पुत्र भगवाना

} जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

8. रामेश्वरी पुत्री भगवाना पत्नि श्योराम
9. सजना पुत्री भगवाना पत्नि लालचंद

} जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा उर्फ तालु का बास तह. विराटनगर, जयपुर

10. ब्रदी
11. मालाराम
12. जगदीश प्रसाद

} पुत्रान सुवा जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी, छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

13. मदन
14. धोलाराम
15. संतोष

} पुत्रान सोणाराम जाति गुर्जर निवासी बरडा की ढाणी तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

16. पपीता पुत्री सोणाराम पत्नि हरदान
17. सीता पुत्री सोणाराम पत्नि मुकेश
18. रामपाल
19. गिर्राज
20. रामरतन

} पुत्रान छीमली देवी पुत्री सुन्दरी देवी बेवा गोमा

21. पतासी
22. छोटी उर्फ गोठी
23. लाली देवी
24. बीला देवी
25. मिश्री देवी
26. खामोश

} पुत्रियान छीमली देवी पुत्री सुन्दरी देवी बेवा गोमा

} जाति गुर्जर निवासी झगडेता तन नीमूचाना तह0 बानसूर जिला अलवर राज0।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

27. नाथी पुत्री सुन्दरी बेवा गोमा पत्नि धूडाराम जाति गुर्जर निवासी तालू का बास तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
28. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 95/2016 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री **महेश कुमार जैन, अधिवक्ता प्रति0 संख्या 3 लगा0 8 व 13 लगा0 15** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा खातेदारी हक इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि वाकै ग्राम छीतौली के हाल खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को साबिक नक्शे एव रिकॉर्ड के आधार पर रिकॉर्ड दुरूस्त करते हए खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवे। जबरन बेदखल कर खुद कब्जा नहीं करें न ही उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय विक्रय पंजीयन ही करें सदा–सदा को पाबंद करें।

सुना गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रकरण में पेश दस्तावेजी साक्ष्यों/मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाकै ग्राम छीतौली के हाल खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर का वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 2753/0.19, 2754/0.86 हैक्टेयर की खातेदारी में प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण के नाम दर्ज किया जावें तथा आवश्यक अमल–दरामद करें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर किया जाता है के वे वादीगण के खातेदारी के उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा कारित नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29-6-21 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 29-6-21 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)